क्रम संख्या–136

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बुधवार, 27 सितम्बर, 2006 ई0
आश्विन 05, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3

संख्या 181/XXXI(3)/2006–सु0–42/2006
देहरादून, 27 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–21

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सचिवालय सुरक्षा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली, 2006

भाग एक–सामान्य

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली, 2006 कहलाएगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तरांचल सचिवालय सुरक्षा सेवा राज्य सेवा है जिसमें समूह "ख" और "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त और समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुरक्षा अधिकारी के पद के सम्बन्ध में राज्यपाल से, इन्सपेक्टर के पद के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव से और सेवा में समस्त अन्य पदों के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग में अधिष्ठान के प्रभारी, सरकार के संयुक्त सचिव से है;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार से है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तरांचल में यथा–प्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित, अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है;

(झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल सचिवालय सुरक्षा सेवा से है;

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो; और

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है : परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:– भर्ती का स्रोत

(एक) सचिवालय/विधान भवन रक्षक–साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) चालीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल की हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(तीन) मुख्य रक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय/विधान भवन रक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(चार) सब इन्सपेक्टर–मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य रक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(पांच) इन्सपेक्टर–मौलिक रूप से नियुक्त सब–इन्सपेक्टरों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(छः) सुरक्षा अधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त इन्सपेक्टरों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(2) इस नियमावली के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी यदि सेवा में किसी पद पर पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य के पुलिस बल, प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस या राज्य अग्निशमन सेवा के व्यक्तियों में से भरे जा सकते हैं।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल [(उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए भारत का नागरिक राष्ट्रीयता होना आवश्यक है।

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी शैक्षिक अर्हताएं आवश्यक हैं :–

सचिवालय/विधान भवन रक्षक	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल की हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया अधिमानी अर्हताएं जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो और उसकी ऊंचाई और सीने की माप परिशिष्ट "ख" में दिये गये मानक से कम नहीं होनी चाहिए। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

रक्षक के पद के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सचिवालय/विधान भवन रक्षक के पदों की सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से रिक्तियां अधिसूचित करेगा :–

(एक) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा; और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(2) भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक)	नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न एक अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
(तीन)	यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न, एक अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
(चार)	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पद की अपेक्षाओं के अनुसार जिसके लिए भर्ती की जानी हो, सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला एक अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य

(3) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से, जो नियम 13 में विहित न्यूनतम मानकों तक आये हों, प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।

(4) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके अंकों को सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक आये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दिये गये अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(6) चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(7) पात्र अभ्यर्थियों से, जैसा नियम 13 में विहित है, शारीरिक परीक्षण कराये जाने की अपेक्षा की जायेगी और चयन के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

(8) चयन के लिए परीक्षा एक सौ अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :–

(क) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा में, जैसा नियम में विहित है, प्राप्तांकों के प्रतिशत का सत्तर प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(ख) छटनीशुदा कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे जो चयन परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पन्द्रह प्रतिशत होगा :

(एक)	सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए	पांच अंक
(दो)	सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए	प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक

(ग) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे जो चयन परीक्षा हेतु कुल अंकों का अधिकतम पांच प्रतिशत होगा :

(एक)	यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	पांच अंक
(दो)	यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	चार अंक
(तीन)	यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो	तीन अंक
(चार)	यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर का खिलाड़ी हो	दो अंक

(9) उपनियम (8) के खण्ड (क) (ख) और (ग) के अधीन परिणाम का मूल्यांकन प्राप्त होने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात्, चयन समिति नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का चार गुना होगी। साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा।

(10) उपनियम (9) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंक, उप नियम (8) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(11) नियम 15 के उप नियम (6) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित, उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम–निर्देशन उत्तरांचल में यथा–प्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन दिए गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तरांचल में समय–समय पर यथा–संशोधित, उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा:

परन्तु जहाँ दो या अधिक पोषक संवर्ग हों–

(क) वेतनमान भिन्न होने पर उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा;

(ख) समान वेतनमान होने पर अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का एक ही दिनांक हो तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा। संयुक्त चयन सूची

भाग छः–नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15, 16, 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा। नियुक्ति

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी, यथास्थिति, चयन में अवधारित

की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

प्रशिक्षण

19. सेवा में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा विहित किया जाय। इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है :-

सब इन्सपेक्टर

1.	अग्निशमन प्रशिक्षण व नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) प्रशिक्षण	15 दिन
2.	हथियार का चलाना, संभालना व उसके सम्बन्ध में जानकारी	07 दिन
3.	विशिष्ट व्यक्तियों (वी0आई0पी0) की सुरक्षा	07 दिन
4.	भीड़ पर नियंत्रण	07 दिन
5.	जांच प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी और असामाजिक तत्वों से निपटना	15 दिन
6.	शारीरिक रूप से स्वस्थ होना (परेड)	01 माह
7.	यातायात (ट्रैफिक) नियंत्रण	07 दिन

मुख्य रक्षक

1.	अग्निशमन प्रशिक्षण व नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण	01 माह
2.	हथियार का चलाना, संभालना व उसके सम्बन्ध में जानकारी	15 दिन
3.	विशिष्ट व्यक्तियों (वी0आई0पी0) की सुरक्षा	07 दिन
4.	भीड़ पर नियंत्रण	07 दिन
5.	शारीरिक रूप से स्वस्थ होना (परेड)	01 माह
6.	यातायात (ट्रैफिक) नियंत्रण	07 दिन
7.	व्यवहार कुशलता	15 दिन

रक्षक

1.	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण	01 माह
2.	हथियार का चलाना, संभालना व उसके सम्बन्ध में जानकारी	15 दिन
3.	विशिष्ट व्यक्तियों (वी0आई0पी0) की सुरक्षा	07 दिन
4.	भीड़ पर नियंत्रण	07 दिन
5.	शारीरिक रूप से स्वस्थ होना (परेड)	01 माह
6.	यातायात (ट्रैफिक) नियंत्रण	07 दिन
7.	व्यवहार कुशलता	15 दिन

उपर्युक्त पाठ्यक्रम के अतिरिक्त समय–समय पर नयी सुरक्षा व्यवस्था, जो जानकारी में आती है, इन पाठ्यक्रमों में शामिल की जाती रहेगी।

सचिवालय/विधान भवन सुरक्षा रक्षकों के कर्तव्य और उनके प्रशिक्षण का उद्देश्य :–

1–सचिवालय भवन एवं विधान भवन के प्रवेश द्वार पर आगन्तुकों के प्रवेश–पत्र की जांच करना।

2–प्रवेश द्वारों (गेटों) पर आगन्तुक द्वारा लाये गये असलहा की जानकारी और उसको संभालना, असामाजिक तत्वों से निपटना, निरीक्षण अच्छा होना तथा तलाशी आदि लेना, प्रवेश द्वारों पर जलूसों के आ जाने पर भीड़ पर नियंत्रण करना आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य।

3–भवन के अंदर असामाजिक तत्व आ जाने पर उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करना, अपराधों की रोकथाम करना।

4–विशिष्ट व्यक्तियों (वी0आई0पी0) की सुरक्षा।

5–यातायात (ट्रैफिक) नियंत्रण।

6–व्यवहार कुशलता।

उपर्युक्त कार्यों को देखते हुए यह आवश्यक है कि अधिकारी व कर्मचारी इन कार्यों में दक्ष हों जिससे वह दक्षतापूर्वक कार्यवाही कर सकें।

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर कोई व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न व अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि– स्थायीकरण

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन आदि

वेतनमान

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :–

पद का नाम	वेतनमान
1. सचिवालय/विधान भवन रक्षक	3050–4590 रुपये
2. मुख्य रक्षक	3200–4900 रुपये
3. सब–इन्सपेक्टर	5500–9000 रुपये
4. इन्सपेक्टर	6500–10500 रुपये
5. सुरक्षा अधिकारी	8000–13500 रुपये

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान वेतनमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26. सरकारी सेवकों के आचरण और उनका उल्लंघन करने के लिए दण्ड दिये जाने से सम्बन्धित किन्हीं अन्य नियमों में दिये गये उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा के किसी ऐसे सदस्य को, जो— अनुशासन के लिए विशेष उपबन्ध

(क) सेवा में कोई विद्रोह प्रारम्भ करता है, उसे उद्दीप्त करता है, कराता है, उसमें भाग लेता है या उसे कराने के लिए किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ षडयंत्र करता है;

(ख) बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है या स्वीकृत छुट्टी के उपरान्त अनुपस्थित रहता है;

(ग) बिना पर्याप्त कारण के ड्यूटी के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है;

(घ) अपने वरिष्ठ अधिकारी को, चाहे ड्यूटी पर हो या न हो, अभित्रस्त करता है या उस पर हमला करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करता है या हमला करता है;

(ङ) अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति धमकी भरे शब्दों या अवज्ञापूर्ण भाषा का प्रयोग करता है या धृष्टता करता है;

(च) अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये किसी विधिपूर्ण समादेश को, चाहे वह मौखिक हो या लिखित, अवज्ञा करता है;

(छ) कोई अन्य अनधीनता का कार्य करता है;

(ज) क्रूरतापूर्ण, अशिष्ट या अप्राकृतिक प्रकार से निकृष्ट आचरण का दोषी है;

(झ) श्रेणी या पद–स्थिति में अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति को अभित्रस्त करता है या उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करता है या अन्य प्रकार से दुर्व्यवहार करता है;

(ञ) चाहे वह ड्यूटी पर हो या न हो, नशे की हालत में पाया जाता है;

(ट) अपने कर्तव्यों का समुचित और प्रभावी रूप से पालन करने में असफल रहता है;

(ठ) अपने कर्तव्यों का पालन करने में कायरता दिखाता है;

(ड) किसी ऐसे अन्य कार्य या लोप का, जो सुव्यवस्था या अनुशासन के प्रतिकूल हो, दोषी है;

(ढ) पूर्ववर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट किसी बात के लिए दुष्प्रेरित करता है या प्रयत्न करता है, विभागीय दण्ड का भागी होगा।

27. सरकारी सेवकों को दण्ड देने से सम्बन्धित किन्हीं अन्य नियमों में दिए गये उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियुक्ति प्राधिकारी को सेवा के सदस्यों को निम्नलिखित विभागीय दण्ड देने की शक्ति होगी, अर्थात्— विभागीय दण्ड के लिए विशेष उपबन्ध

(क) उतनी धनराशि तक का जुर्माना जो उस मास के, जिसमें जुर्माना आरोपित किया जाय, सात दिन के वेतन से अधिक न हो;

(ख) वेतन में कमी;

(ग) दांडिक कवायद (ड्रिल) या अतिरिक्त गार्ड ड्यूटी या फटीग ड्यूटी।

28. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। अन्य विषयों का विनियमन

29. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उन मामलों में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

व्यावृत्ति

30. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

[नियम 4 (2) देखिये]

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	2	3	4	5
1.	सुरक्षा अधिकारी	–	01	01
2.	इन्सपेक्टर	–	02	02
3.	सब–इन्सपेक्टर	–	04	04
4.	मुख्य रक्षक	–	08	08
5.	सचिवालय/विधान भवन रक्षक	–	40	40

परिशिष्ट "ख"

(नियम 13 देखिये)

(अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता मानकों में सम्मिलित ऊंचाई और सीने की माप)

1.	पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर–सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लिए	165 सेंटीमीटर 5'5"
2.	सीना	78.8 सेंटीमीटर
3.	सीना फुलाने के पश्चात्	83.8 सेंटीमीटर
4.	पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	160 सेंटीमीटर 5'3"
5.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	157.5 सेंटीमीटर 5'2"

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 181/XXXI(3)/2006--SU--42/2006, dated September 27, 2006 for general information :

No. 181/XXXI(3)/2006–SU–42/2006
Dated Dehradun, September 27, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Secretariat Security Service.

THE UTTARANCHAL SECRETARIAT SECURITY SERVICE RULES, 2006

Part I–General

1. (1) These rules may be called the Uttaranchal Secretariat Security Service Rules, 2006. Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

2. The Uttaranchal Secretariat Security Service is State Service comprising Group "B" and "C" posts. Status of the Service

3. In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context-- Definitions

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Other Backward Classes) Act, 1994 as applicable to the State of Uttaranchal and as amended from time to time;

(b) "Appointing Authority" means the Governor in respect of the post of Security Officer, Principal Secretary/Secretary to the Government in the Secretariat Administration Department in respect of the post of Inspector and Joint Secretary to the Government Establishment in Charge in the Secretariat Administration Department in respect of all other posts in the Service;

(c) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) "Constitution" means the Constitution of India;

(e) "Government" means the State Government of Uttaranchal;

(f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) "Other backward classes of the citizens" means other backward classes of the citizens specified in Schedule 1 of the Act as applicable to the State of Uttaranchal and as amended from time to time;

(i) "Service" means the Uttaranchal Secretariat Security Service;

(j) "Substantive appointment" means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and

(k) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II--Cadre

Cadre of Service

4. (1) The strength of the Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix "A" :

Provided that--

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part III--Recruitment

Source of Recruitment

5. (1) Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources :--

(i) **Secretariat/Vidhan Bhawan Guard**--60% by direct recruitment.

(ii) 40% by promotion from amongst the substantively appointed group "D" employees who have passed High School Examination of the Uttaranchal Secondary Education Board or any other equivalent qualification recognised by the Government and have completed at least three years service, as such, on the first day of the recruitment year.

(iii) **Chief Guard**--By Promotion from amongst the substantively appointed Secretariat/Vidhan Bhawan Guards having completed four years service, as such, on the first day of the recruitment year.

(iv) **Sub-Inspector**--By promotion from amongst the substantively appointed Chief Guards having completed four years service, as such, on the first day of the recruitment year.

(v) **Inspector**--By promotion from amongst the substantively appointed Sub-Inspectors having completed four years service, as such, on the first day of the recruitment year.

(vi) **Security Officer**--By promotion from amongst the substantively appointed Inspectors having completed four years service, as such,on the first day of the recruitment year.

(2) Notwithstanding any other provision contained in the Rules, if any eligible or suitable candidate for any post in the Service is not available, such posts may be filled by deputation from amongst the persons from the State Police Force, Provincial Armed Constabulary or the State Fire Fighting Service.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Public Service) (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 (Adaptation and Modification) Order, 2002, as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part IV--Qualifications

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be a citizen of India.

Academic Qualifications

8. A candidate for direct recruitment to various posts in the Service must possess the following qualification :--

Post	Qualifications
Secretariat/Vidhan Bhawan Guard	Must have passed High School Examination of Secondary Education Board Uttaranchal or any other equivalent qualification recognised by the Government.

9. A candidate who has-- Preferential qualifications

(I) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(II) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps,

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on July 1 of the calendar year in which the posts are advertised : Age

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point. Character

NOTE--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. A male candidate who has more than one wives living or a female candidate who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service: Marital Status

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties and his height and chest measurements should not be less than the standard mentioned in Appendix "B". Before a condidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness from the Chief Medical Officer, Dehradun in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III : Provided that medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion. Physical Fitness

Part V--Procedure for Recruitment

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. Determination of vacancies

15. (1) For the purpose of direct recruitment to the post of Secretariat/Vidhan Bhawan Guard, the Appointing Authority shall notify the vacancies in the following manner :-- Procedure for direct recruitment to the post of Guard

(i) By advertising in the daily newspapers having wider circulation,

(ii) By pasting the notice on the notice board of the office; or advertisement through Radio/Television or Employment newspapers; and

(iii) By notifying the vacancies to the Employment Exchange.

(2) For the purpose of recruitment a Selection Committee shall be constituted comprising :--

(i) Appointing Authority	Chairman
(ii) If the Appointing Authority does not belong to Schedule Caste or Schedule Tribe an officer belonging to the Schedule Caste or Schedule Tribe shall be nominated by the Appointing Authority. If the Appointing Authority belongs to the Schedule Caste, Schedule Tribe, an officer other than belonging to the Schedule Caste, Schedule Tribe or other backward classes shall be nominated by the Appointing Authority	Member
(iii) If the Appointing Authority does not belong to other backward classes, an officer belonging to other backward class shall be nominated by the Appointing Authority. If the Appointing Authority belongs to other backward classes, an officer other than belonging to other backward classes or Schedule Castes or Schedule Tribes shall be nominated by the Appointing Authority	Member
(iv) The Appointing Authority shall nominate an officer having adequate knowledge of the related field according to the requirements of the post for which recruitment is to be made.	Member

(3) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in the competitive examination who have come up to the minimum standards prescribed in rule 13.

(4) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(5) The Selection Committee shall prepare a list of the candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the written examination and at the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the name of the candidate obtaining more marks in the written examination, shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of vacancies.

(6) The Selection Committee shall forward the list to the Appointing Authority.

(7) The eligible candidates shall be required to undergo physical test as prescribed under rule 13 and only those candidates fulfiling the prescribed minimum standards for the post shall be considered.

(8) The test for selection shall carry 100 marks. The merit list of the candidates shall be prepared in the following manner :--

(A) 70% of the marks obtained at the minimum qualifying examination for the post as prescribed in rule, shall be awarded to each candidate.

(B) Marks to the retrenched employees shall be awarded in the following manner, subject to the maximum of 15% of the total marks fixed for the test for selection :--

(I) For first completed year of service	5 marks
(II) For the next and each completed year of service	5 marks for each year.

(C) Marks to the Sportsman shall be awarded in the following manner subject to the maximum of 5% of the total marks of the test for selection :--

(I)	If the candidate is a sportsman of International standard	5 marks
(II)	If the candidate is a sportsman of National standard	4 marks
(III)	If the candidate is a State level sportsman	3 marks
(IV)	If the candidate is sportsman of University/College/ School level.	2 marks

(9) After the evaluation of the results obtained under Clause (A), (B) and (C) of sub-rule (8) are tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with to rule 6 call for interview. The number of candidates to be called for interview shall be four times the number of vacancies. The interview shall carry 10% of the total marks fixed for the test for selection.

(10) Marks obtained by each candidate in the interview under sub-rule (9) shall be added to the marks obtained by him in the written test under sub-rule (8). Final select list shall be prepared on the basis of such aggregate of the marks obtained by the each candidate. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies.

(11) The select list referred to in sub-rule (6) of rule 15 shall be forwarded to the Appointing Authority.

Procedure for Recruitment by Promotion

16. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttaranchal Constitution of Departmental Promotion Committee (for the Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Rules 2002, as amended from time to time.

NOTE--Nomination of the officers for the Selection Committee for representation of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and citizens belonging to other backward classes shall be made as per the orders under section 7 of the Act as applicable to the State of Uttaranchal and as amended from time to time.

(2) The Appointing Authority shall prepare the eligibility lists in accordance with the Uttaranchal Promotion by Selection Eligibility List (for the Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2003 as amended from time to time and place it before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper:

Provided if there are two or more feeder cadres--

(a) In case of different pay scales candidates belonging to the cadre with higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list;

(b) In case of identical pay scales the names of the candidates shall be placed in the eligibility list in order of the date of substantive appointment in their respective cadres. If the date of substantive appointment of two or more candidates is the same in such case the name of the candidate senior in age shall be placed higher in the eligibility list.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare the list in order of seniority as it was in the cadre from which they are promoted and forward the same to the Appointing Authority.

Combined Select List

17. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion , a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed precentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Part VI– Appointment, Training, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment

18. (1) Subject to the provisions of the sub-rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 15, 16 and 17, as the case may be.

(2) When in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments, shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons, in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with rule 17.

Training

19. Any person other than the person appointed on deputation on any post in the Service shall be required to undergo such training as may be prescribed by the Government from time to time.

The training course at the time of commencement of these rules is as follows :--

Sub-Inspector

1.	Fire fighting and civil defence training	15 days
2.	Operation, handling and knowledge of fire arms	07 days
3.	Security of VIPs	07 days
4.	Crowd Control	07 days
5.	Knowledge of process of enquiry and dealing with anti social elements	15 days
6.	Physical fitness (Parade)	01 Month
7.	Traffic Control	07 days

Chief Guard

1.	Fire fighting and civil defence training	01 Month
2.	Operation, handling and knowledge of fire arms	15 days
3.	Security of VIPs	07 days

4.	Crowd Control	07 days
5.	Physical fitness (Parade)	01 Month
6.	Traffic control	07 days
7.	Adept in handling people	15 days

Guard

1.	Civil defence training	01 month
2.	Operation, handling and knowledge of fire arms	15 days
3.	Security of VIPs	07 days
4.	Crowd Control	07 days
5.	Physical fitness (Parade)	01 Month
6.	Traffic control	07 days
7.	Adept in handling people	15 days.

In addition to the above course, new security system that comes to the knowledge shall continue to be included in these courses from time to time.

The duties of the Secretariat/Vidhan Bhawan Security Guards and the purpose of their training :--

1. Checking of entry passes of the visitors at the entry gate of the Secretariat building and Vidhan Bhawan.
2. Important works, such as knowledge and handling of the arms and ammunitions brought by the visitors at the entry gates, dealing with the anti-social elements, good observation and search etc. controlling the crowd of the processions at the entry gates.
3. Taking action on the entry of the anti-social elements into the building (Bhawan), prevention of crimes.
4. Security of the V.I.Ps.
5. Traffic control.
6. Adept in handling people

In view of the above duties the officers and the employees are required to the efficient in discharging their duties.

Probation

20. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

21. (1) Under the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if--

(a) he has passed the prescribed departmental examination, if any;

(b) he has successfully undergone the prescribed training, if any;

(c) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(d) his integrity is certified.

(2) Where in accordance with the provisions of the Uttaranchal State Government Servants Confirmation Rules, 2002 confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of the Rules that the person concerned has successfully completed the period of probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

22. The persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

Part VII--Pay Etc.

Scales of pay

23. (1) The scales of pay admissible to the persons appointed to various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these Rules are as follows :--

	Name of the Post	Scale of Pay
1.	Secretariat/Vidhan Bhawan Guard	Rs. 3050--4590
2.	Chief Guard	Rs. 3200--4900
3.	Sub-Inspector	Rs. 5500--9000
4.	Inspector	Rs. 6500--10500
5.	Security Officer	Rs. 8000--13500

Pay during probation

24. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

(3) The Pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Part VIII--Other Provisions

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. Canvassing

26. Without being prejudice to the provisions of other rules regarding imposing penalty for conduct and violation of conduct of the Government servants, any member of the service who, Special Disciplinary Provisions

(a) initiate or incite or causes to or participate in the revolt in the Service or plot a conspiracy with other persons for the same;

(b) remains absent without valid reason or remains absent beyond the sanctioned leave period;

(c) fails to be present on duty in time without sufficient reason;

(d) intimidate his senior officer, whether on duty or not, or use criminal force to assault him or assault him;

(e) uses threatening or insubordination language against his senior officer or behaves impertinently;

(f) disobey the lawful commands, whether oral or written, of his senior officer;

(g) any other act of insubordination;

(h) guilty of harsh, indecent or unnatural disgraceful conduct;

(i) intimidate or uses criminal force or otherwise misbehaves with the person of equal status and category or subordinate to him;

(j) found under the influence of intoxication, whether on duty or not;

(k) fails to perform his duties properly and effectively;

(l) displays cowardice in discharging his duties;

(m) found guilty of any other act or omission against the law and order or discipline;

(n) indulge in abetting or tries to abet anything specified in the aforesaid clauses, shall be liable for departmental punishment.

27. Without being prejudice to the provisions of other rules regarding imposing penalty on the Government servants, the Appointing Authority shall have the power to impose the following penalty on the members of the Service :-- Special provision for departmental punishment

(a) Fine not more than seven days pay of the month in which the penalty is imposed;

(b) Loss of pay;

(c) Punishment drill or extra guard duty or fatigue duty.

28. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State. Regulation of other matters

29. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner. Relaxation from the conditions of Service

Savings

30. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes of citizens and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix "A"

[See Rule 4 (2)]

Sl. No.	Name of the Post	Number of Posts		
		Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4	5
1.	Security Officer	–	01	01
2.	Inspector	–	02	02
3.	Sub-Inspector	–	04	04
4.	Chief Guard	–	08	08
5.	Secretariat/Vidhan Bhawan Guard	–	40	40

Appendix "B"

(See Rule 13)

(Height and Chest measurements included in the required Physical Fitness Standards)

1.	For General/Backward and Scheduled Castes excepting Hilly areas	165 cm.	5'5''
2.	Chest	78.8 cm.	
3.	Chest after expansion	83.8 cm.	
4.	Minimum height for the residents of Hilly areas	160 cm.	5'3''
5.	Minimum height for the candidates belonging to Scheduled Tribes	157.5 cm.	5'2''

By Order,

HARISH CHANDRA JOSHI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 सचिवालय प्रशासन / 471–2006–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।